संख्या-39/2016/1317/58-2016-133/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: मई, 2016**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2401-789-07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम" की योजना में प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-04/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 07.04.2016 एवं पत्र संख्या-50-51/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 10.5.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-2,60,00 हजार (रूपये- दो करोड़ साठ लाख) मात्र को निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-83 **(धनराशि हजार रूपये में)**

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान 2016-17**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम	27-सब्सिडी 42-अन्य व्यय	2,30,00 30,00	2,30,00 30,00
	योग-	**2,60,00**	**2,60,00**

(रूपये- दो करोड़ साठ लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के आहरित/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। इस आशय का प्रमाण-पत्र उनके द्वारा कोषागार में धनराशि आहरित करने से पूर्व दिया जायेगा। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपदवार योजनान्तर्गत स्वीकृत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा, उसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार माहवार फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

5- जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

7- बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0-सी-ए-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.1.2005 का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- योजना पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

13- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

14- योजना का क्रियान्वयन शासनादेश सं0-28/2016-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.4.2016 में दी गयी व्यवस्था डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

15- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-39/2016-1317(1)/58-2016, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, (प्रथम)/(द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(5) कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in